

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

सी0सी0ए0 वाद संख्या- 05/2018

राज्य बनाम शैलेन्द्र यादव

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
19.09.2018	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3581/गो०, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी शैलेन्द्र यादव, पे० पुलकित यादव, साकिन वसुआ थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>उनके विरुद्ध कुल 15 (पन्द्रह) अपराधिक मुकदमें उल्लेखित हैं, जो निम्नांकित हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पसराहा थाना कांड संख्या-35/2009 दिनांक 04.05.2009 धारा 379/506/34 भा०द०वि०। 2. पसराहा थाना कांड संख्या-64/2009 दिनांक 3.11.2009 धारा 1-387/448/307/379/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 3. पसराहा कांड संख्या 40/2010, दिनांक 06.07.2010 धारा -147/148/149/323/342/447/386/506 भा०द०वि०। 4. पसराहा कांड संख्या 10/2011, दिनांक 21.04.2011 धारा -341/323/307/379/34 भा०द०वि०। 5. पसराहा कांड संख्या 58/2011, दिनांक 08.07.2011 धारा 302/120बी० भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 6. पसराहा कांड संख्या-24/2012, दिनांक 28.03.2012 धारा-341/504/506/387/120बी० भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 7. पसराहा कांड संख्या 10/2013, दिनांक 16.02.2013 धारा-147/149/448/380/341/323/354/379/120बी०/504/506 भा०द०वि० एवं 3 (एक्स) अनु०जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। 8. पसराहा कांड संख्या 82/2014, दिनांक 21.08.2014 धारा-341/323/386/354/354ए/504/506/307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3 (एक्स) अनु०जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। 9. पसराहा कांड संख्या 103/2014, दिनांक 3.11.2014 धारा- /148/149/341/504/506/307 भा०द०वि० एवं आर्म्स एक्ट। 10. पसराहा कांड संख्या 120/2015, दिनांक 01.09.2015 धारा -147/504/307/ भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 11. पसराहा कांड संख्या 90/2016, दिनांक 09.07.2016 धारा -147/149/427/307/385/ भा०द०वि एवं आर्म्स एक्ट। 12. पसराहा कांड संख्या 109/2016, दिनांक 25.08.2016 धारा-147/149/427/307 भा०द०वि० एवं आर्म्स एक्ट। 13. पसराहा कांड संख्या 40/2017, धारा-147/148/149 /323 / 341/387/307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 14. पसराहा कांड संख्या 08/2018, दिनांक 28.01.2018 धारा -147/148/149/307/506/504 भा०द०वि० एवं आर्म्स एक्ट। 15. पसराहा कांड संख्या 11/2018, दिनांक 04.02.2018 धारा -147/149/341/323/379/342/504/506 भा०द०वि०। <p>ये भारतीय दण्ड विधान एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं के तहत</p>	

L
SW
29/9/18

आरोपित है। ये जबसे जेल से छुटकर आए है तब से अपने पुराने काण्ड के गवाहों को तंग तवाह कर रहे है जिससे इलाके का माहौल भयपूर्ण है। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुए और अपना कारण-पृच्छा भी प्रस्तुत किये। अपराधकर्मी के द्वारा समर्पित कारण-पुच्छा का अवलोकन किया गया, कारण-पृच्छा स्वीकार्य नहीं है।

राज्य की ओर से अपर विशेष लोक उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए अपराधकर्मी को निरुद्ध करना नितान्त आवश्यक बताया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त शैलेन्द्र यादव आज न्यायालय में उपस्थित हुए है। दुर्गापूजा / मुहर्रम / दीपावली / छठ ऐसे त्योहार के मद्देनजर इलाके में लोक परिशांति कायम करने हेतु आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है एवं दुर्गापूजा / मुहर्रम / दीपावली / छठ जैसे त्योहार दौरान इनके द्वारा लोक परिशांति को भंग अथवा प्रभावित किया जा सकता है।

अतः मैं अनिरुद्ध कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया आदेश देता हूँ कि अपराधकर्मी शैलेन्द्र यादव दिनांक 20.09.2018 से लेकर दिनांक 16.11.2018 तक प्रतिदिन 10:00 बजे चित्रगुप्तनगर थाना परिसर में थाना प्रभारी, चित्रगुप्तनगर के समक्ष सदेह उपस्थित होंगे। आदेश से थानाध्यक्ष पसरहा/चित्रगुप्तनगर को तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोमसी/खगड़िया को संसूचित कर दें।
लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया



जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

Handwritten notes in Hindi, including dates like 20.9.18 and 16.11.2018, and names of police stations and officers. The notes appear to be a list of locations where the offender is to be present, such as 'चित्रगुप्तनगर थाना परिसर' and 'पसरहा थाना'. There are also some illegible signatures and initials.

Handwritten signature and date at the bottom right corner, possibly indicating the date of the order or a related action.